भारत के उप -राष्ट्रपति का सचिवालय
SECRETARIAT OF THE VICE- PRESIDENT OF INDIA
नई दिल्ली -110001 (भारत)
NEW DELHI – 110001 (INDIA)

28 अगस्त, 2024

फाइल संख्या वीपीएस-55/1-आरटीआई/23/2024-2025

सेवा में,

श्रीमती किरण कुमारी
पत्नी श्री शंकर पंडित
छोटी कशोपुर, जमालपुर, फरीदपुर फाड़ी
जिला-मुंगेर-811214

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

उक्त विषय में कृपया आपने दिनांक -- का पत्र जो इस सचिवालय में 27.08.2024 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ 10 रूपये का पो.आ.सं. 64एफ 974971 संलग्न कर अपने पति का अनशन समाप्त कराकर उनका मेडिकल चेकअप करवाने के लिए जानकारी हेतु निवेदन किया है।

इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आप के द्वारा भेजा गया आवेदन उप-राष्ट्रपति जी को सीधे संबोधित न होते हुए प्रति था तथा **आपके द्वारा मांगी गई सूचना का विषय इस सचिवालय से संबन्धित नहीं था।** आपको सूचित किया जाता है कि उप-राष्ट्रपति के सचिवालय में प्राप्त याचिकाओं कि प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देशों के अंतर्गत कार्रवाई न किए जाने योग्य याचिका से संबन्धित है, इसलिए ऐसे सभी आवेदनों पर कोई संज्ञान न लेते हुए उन्हें फ़ाइल कर दिया जाता है त[illegible] इन याचिकाओं के लिए कोई पावती नहीं भेजी जाती है।

अतः आपको परामर्श है कि आप इस विषय में सीधे संब[illegible] राज्य/मंत्रालय/विभाग से संपर्क करें।

(राजेश कुम[illegible]र्मा)
केन्द्रीय लोक सूचना[illegible]कारी
rticell-vps[illegible]ic.in

SPEED POST
4/9/24

RTI-23

प्रपत्र–'क'

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

आई.डी.सं. (कार्यालय प्रयोग के लिए) ....

Vice President's Secretariat
Dy. No. 374
Date 23/8/24
New Delhi

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी
(विभाग / कार्यालय)

1. आवेदक का नाम : किरण कुमारी

2. पूरा पता : W/O शंकर पंडित द्वारा केशोपुर जमालपुर फरीदपुर कोड़ी कुम्हार टोली जिला मुंगेर – राज्य बिहार

3.7.2024 से शंकर पंडित अनशन पर है

3. मांगी गई सूचना का ब्योरा (संक्षेप में) सूचना अधिनियम के तहत पूर्व भी वक्तव्य भेजे थे 28/3/2019 फिर 25/03/2024 को शंकर पंडित की पत्नी द्वारा भेजा गया था वर्तमान में भी जनहित लोकहित 140 करोड़ जनता एवं देशवासियों के लिए सभी जेलो हॉस्पीटल विद्यालय में उचित नियम से खाना क्यों न लागू करने तथा नाम वर्णित भ्रष्टाचार पदाधिकारी कानून को गुमराह सभी बन्दीगण का खाना पीना दवाई ईलाज में गबन घोटाला करने ईलाज क्यों न अन्य कारणों से मारकर रचकर पदभार का दुरुपयोग करने वाले शातिर कसाई निर्दय पर कार्रवाई कर रहे है एवं शंकर पंडित का स्वास्थ्य मेडिकल जाँच सुरक्षा न्याय मांगने के लिए अनशन पर क्या कार्रवाई कर रहे है सरल जानकारी हिन्दी में एक सेट दिये गए पता पर तथा एक सेट मेरे G.mail पर तथा एक सेट शंकर पंडित के पास मिले शंकर पंडित का पूर्व और वर्तमान दोनो का मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। कृपा कर के मांग पूरा जल्द से जल्द अनशन तुड़वाए / शंकर का बेहतर ईलाज हो

4. मैं एतद्द्वारा घोषित करता / करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में मांगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धरा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है यह आपके विभाग / कार्यालय से संबंधित है।

5. (1) मैंने दस (10) रूपये का नन जुडिशियल स्टाम्प सं. / पोस्टल आर्डर (भुगतान आदेश) सं. / डिमांड ड्राफ्ट सं. .... दिनांक .... जो कि लोक सूचना पदाधिकारी के पक्ष में भुगतेय है।

Recd. 27/08/24

(2) मैं दस (10) रूपये तिथि .... को रसीद सं. .... सें विभाग / कार्यालय में भुगतान किया है।

SP

DSR/1655 27.08.24

(3) मैं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का हूँ। मेरा कार्ड / वांछित सर्टिपिफकेट की छायाप्रति संलग्न है।

स्थान ....

RTI

दिनांक ....

Dealt Shankar Pandit Dairy No. 5/8/24

आवेदक का हस्ताक्षर ....

ई–मेल पता, अगर कोई हो Kiran.Kumari.07360@g...

दूरभाष संख्या 9241980968

नोट : गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का कोई फीस देय नहीं है।

आवेदक पत्राचार का पूरा पता W/O शंकर पंडित केशोपुर जमालपुर

जो लागू नहीं है उसे काटें दें।

64F 974971

10/-

सेवा में

श्रीमान् जिला दंडाधिकारी महोदय,

भागलपुर।

संदर्भ :– सत्रवाद 56/2015 प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुंगेर के द्वारा पारित आदेश में सजायाफ्ता बंदी शंकर पंडित के संबंध में।

विषय :– सजायाफ्ता बंदी शंकर पंडित को कारा प्रशासन के द्वारा मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के संबंध में। दिनांक– 03.07.2024 संध्या–05:00 बजे से अनशन पर बैठे है, कृपा सुनवाई किया जाये जबतक सुनवाई नही होगी तबतक अनशन नहीं तुड़ेगें।

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि मेरे पति शंकर पंडित सत्रवाद 56/2015 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय से दिनांक– 07.03.2019 को आजीवन की सजा दी गई थी, और सजा के विरूद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की गई है और सुनवाई हेतु लंबित है, सजा के पश्चात् कारा प्रशासन ने मुंगेर से भागलपुर केंद्रीय कारा में स्थांतरित कर दिया और वर्तमान में केंद्रीय कारा में संसीमित है।

महोदय, मेरे पति शंकर पंडित तथाकथित घटना के बाद से ही दिनांक– 22.07.2014 से कारा में है, अभी तक मेरे पति दस साल से कारा में है। कारावास के दौरान मेरे पति मानसिक और शारीरिक रूप से काफी अस्वस्थ हो

कई बार कोशिश की लेकिन मिलने से इंकार कर दिया, मेरे पति का किस चीज का इलाज करवाया जा रहा है क्या डॉक्टर का मंतव्य है, चिकित्सा प्रतिवेदन क्या है? कोई भी जानकारी मुझे नहीं दी जा रही है, कारा प्रशासन की इस रवईया से काफी क्षुब्ध हो गई हूँ, मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि मेरे पति को कारा प्रशासन के द्वारा दी गई शारीरिक और मानसिक प्रत्ताड़ना के विरूद्ध में अनशन पर बैठे थे, अनशन की जानकारी होने पर कारा प्रशासन ने पुनः मार–पीट किया, जिसके कारण मुंह से खून गिरा और पहने हुए टी शर्ट में खून का दाग भी है, साक्ष्य के लिए सुरक्षित रखी गई है।

महोदय, मैं आज अपने पति से मिलने केंद्रीय कारा गई थी, पति से मिलने के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया, लेकिन रजिस्ट्रशन लिस्ट में नाम नहीं जोड़ा गया और मुलाकात नहीं करने दिया बोला की शंकर पंडित अनशन पर बैठा है, जब तक अनशन नहीं तोड़ेगा तो नहीं मिलने देंगे।

महोदय, मेरे पति कारा प्रशासन के द्वारा मानसिक शारीरिक प्रताड़ित होने के कारण बीमार हो चुके हैं और भी अनशन पर पिछले कई दिन से बैठे है, मेरे पति जीवन और मौत के बीच जुझ रहे है।

उक्त तथ्य व परिस्थिति के आलोक में श्रीमान् से प्रार्थना है कि मेरे द्वारा उठाई गई बिंदु पर विचार करते हुए, हस्तक्षेप करने की कृपा की जाए, ताकि मेरे पति की जान बच सके।

प्रतिलिपि छाया प्रति संलग्नः–

1. मुख्यमंत्री से मिलने पर रिसिंभि।
2. अनशन के दौरान टी शर्ट पर सत्तु तथा खून गिरा हुआ फोटो।
3. किरण कुमारी का आवेदन।
4. शंकर का बन्दी आवेदन खुद का लिखा हुआ, संक्षेप में।

18. भारत दैनिक भास्कर प्रभारी मिडिया।
19. भारत गरम खबर प्रभारी मिडिया।
20. अन्य और भी भारत दिल्ली खबर प्रभारी मिडिया।
NDTV India, Aaj Tak, Zee News, India TV, CNN News
21. इंडिया नियुज टीवी चैनल टि0वी मिडिया।
22. दूसदर्शन टीवी चैनल दिल्ली भारत टीवी, मिडिया।
23. जी नियुज चैनल दिल्ली, भारत टीवी मिडिया।
24. जी बिहार झारखण्ड नियुज टिवी, चैनल।
25. बिहार टीवी न्यूज चैनल।
26. बिहार मानवाधिकार, पटना।
27. बिहार चिप जस्टीस पटना।
28. बिहार डीजीपी, पटना।
29. बिहार मुख्य मंत्री नितिश कुमार।
30. बिहार राज्यपाल पटना।
31. उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव।
32. विपक्षी बिहार नेता सुशील मोदी।
33. बिहार हिन्दुस्तान खबर प्रभारी मिडिया।
34. भागलपुर मानवाधिकार
35. भारत सुझाव विभाग दिल्ली।
36. लोक अंदालत दिल्ली।
37. भारत मानवा अधिकार आयोग्य।
38. जनता दल (यूनाइटेड)।
39. राष्ट्रीय जनता दल।
40. इन्डियन नेशनल कांग्रेस।
41. लोक जनशक्ति पार्टी
42. बहुजन समाज पार्टी।

दिनांक 10/10/23 P.M 2.30 बजे लगभग हमको जेल अधीक्षक मनोज बाबु के ऑफिस बुलाया गया गेट के अन्दर मनोज बाबु द्वारा दबंग धमकी देते हुए बोला गया अन्दर कुछ नहीं बोलना, अन्यथा 25/5/23 से भी ज्यादा मार लगेगा। अन्दर जाने पर मानवाधिकार जाँच कर्ता अपने को बता कर जेल अधीक्षक जाँच के बाद नास्ता करते नजर आए। मुंगेर के बारे थोड़ा लिखे, मैं मन बात नहीं लिखकर फोरमिटी निभाकर लिखवाए हमसे से, भागलपुर जेल के बारे में कुछ नहीं है जब कि हमको बोलना था। मगर से

बंदी आवेदन पत्र

जाँच पदाधिकारी भी जेल अधीक्षक मनोज बाबु से मिले थे दबाव देकर हस्ताक्षर कराया गया। जिसका प्रमाण हमको बोलना था मगर जाँच कर्ता [illegible] हुआ के कारण

(कारा हस्तक नियम 501 अनुसार पारित)

एवं धमकी दबाव के कारण भी ऐसे पानी तिर का निशान देकर लिखाया गया कि, नहीं बोलना है भागलपुर अन्य जेल के बारे में जबकि यहां के बारे और ज्यादा बोलना था जनहित लोकहित के लिए 140 करोड़ जनता के लिए भी।

प्रेषक का नाम शंकर पंडित .... पिता का नाम जामुन पंडित ....

पता सदर बाजार पोस्ट + थाना जमालपुर जिला मुंगेर

थाना काण्ड संख्या/सत्रवाद संख्या 107/2003 जमालपुर मुंगेर, 60/15 कासिम बाजार मुंगेर, 86/19 कोतवाली मुंगेर ..... धारा 302

कारा प्रवेश तिथि 5 मई 22) ना.15 भागलपुर 21/5/20 सजा की तिथि 2019

सेवा में,

विषय → पूर्व दिनांक 24/5/23 से 11/6/23 तक अनशन दरमियान जो अत्याचार जुल्म हमारे साथ हुआ, टोटल सत्य प्रमाण प्रमाणित दरसाया गया है, उसी के संबंध में है

(1) सविनय निवेदन है, दिनांक 24/5/23 को अनशन पर बैठे थे, कुछ दिन इसके पूर्व 15 जगह आवेदन भेजकर पत्नी किरण देवी द्वारा बाहर से कारवाई जनहित लोकहित में करते हुए न्याय का गुहार भी लगाए थे।

(2) नं० दुरभाग्य बस कुछ ही पेपर भेजा गया था मं० पेपर प्रमाण प्रमाणित सत्य नहीं भेजा गया था ना न्याय मिला उल्टा हमारे पर जुल्म अत्याचार मारपीट मानसिक शारीरिक टोर्चर हुआ, जिसका प्रमाण हम 33 वार्ड में 24/5/23 को अनशन, यहाँ भी आवेदन देकर बैठे थे, जनहित लोक के लिए माननीय प्रधान मन्त्री मोदी के नाम से लिखकर, जेल प्रशासन को देकर बैठे थे

(3) नं० जिसका रिएक्सन जेल उपाधीक्षक राकेश बाबु सन्ध्या P.M लगभग 5 बजे अपने ऑफिस में बुलाकर बोले, यह आवेदन बाहर यहाँ से नहीं भेजा जाएगा, कुछ नहीं होगा, अभद्र भाषा का प्रयोग कर डराने चिल्लाने एवं मारने के लिए उठे, इसी दरमियान जेल सहायक बिरज बाबु भी आकर सेम अभद्र भाषा का प्रयोग कर मारने के लिए तत्पर हुए। जिसपर हम बोले अनशन नहीं तोड़ेंगे बाहर से भी आवेदन भेजा गया है

(4) नं० जिसपर बिरज राकेश दोनों बोले साला तुमको वार्ड बदलकर दूसरा वार्ड देंगे, परेशान होगा, नहीं माने तो तितृया खण्ड भेजकर रोज मार पीट रहेगा। यही किए उसी समय हमको 28 नं० वार्ड 33 नं० वार्ड से सारा समान लेकर जाने बोला गया, और लास्ट में लैट्रीन के पास लास्ट में सुलाया गया था।

(5) नं० सुबह 25/6/23 को पुनः लगभग A.M 10 बजे अपना ऑफिस सारा समान लेकर बुलाया गया। इसके बाद जेल उपाधीक्षक राकेश बाबु बोले तुम नहीं मानेगा तो जाओ तितृया खण्ड, तितृया खण्ड जाने के

हस्ताक्षरित अभिप्रमाणित

समय के साथ कुछ बदलाव भी होता है।

हस्ताक्षर आपका बन्दी
शंकर पंडित P.T.O

3-7-2024 ~~मैं जो भागलपुर [illegible]~~

ज्ञापांक................ दिनांक ~~[illegible]-2024~~

आवेदन-पत्र प्रतिहस्ताक्षरित किया गया एवं संध्या-5 बजे PM से अनशन पर बैठे हैं शंकर पंडित .... को समर्पित।

दिनांक 10/10/23 को दबाव देकर हमसे लिखवाने में, भागलपुर जेल अधीक्षक जुब्ब [illegible] सहनी का अधीक्षक भी थे, वह अपने आप को अधीक्षक बताए। भविष्य में हमारी किसी भी तरह से मृत्यु होगा या बिमारी, वगैरा या आत्म हत्या यह सब षड़यंत्र साजिश तहत हो सकता है। या किसी के में हमारी पत्नी बच्चे भी फंसा सकते हैं साजिश तहत, कोई भी हद तक जा सकता है, खुद को बचाने के लिए नाम वर्णित वह 100 प्रतिशत शुरु से।

आपके आप सभी के लिए पुरा देश वासी जन हित लोक हित के लिए बैठे हैं शंकर पंडित विशेष केन्द्रिय कारा भागलपुर - कैम्प जेल में

कि हमको आजीविका काम, कमाई जिससे ... पारिश्रमिक भी मिलता है नहीं मिला क्योंकि रिश्वत ... नहीं दिए, केवल बचाव, फोर मेटी निभाने के लिए नहीं के बराबर मजदूरी दे कर, के दिया जाता है। रिश्वत देने पर पारिश्रमिक एवं पैसा भी काम का मिलता है

इन्द्रा गांधी इग्नू का परीक्षा दिलवाने के पहले कोई तैयारी वगैरे परीक्षार्थी बन्दी को तैयारी भी नहीं करवाया जाता है ना पहले किताब हमको दिया गया पूर्व भी मात्र 12, 15 दिन पहले किताब दिया गया ना कलम ना कॉपी लिखने या तैयार करने के लिए पर सब रजिस्टर में दर्ज कर सारा का सारा फंड खा जाता है फोरमेटी निभाने के लिए थोड़ा भी देते परीक्षा दिलवाकर कलम अगला बार ले लिया जाता

बंदी आवेदन पत्र

(कारा हस्तक नियम 501 अनुसार पारित)

प्रेषक का नाम शंकर पंडित.................... पिता का नाम परसा. यमुना पंडित..............

पता ग्राम.... बाजार पो.स्टे + थाना जमालपुर जिला मुंगेर..............

थाना काण्ड संख्या/सत्रवाद संख्या 107/2003 जमालपुर मुंगेर .... धारा 302..........

कारा प्रवेश तिथि 22/7/15 ... 31/5/20 .... सजा की तिथि 2019..................

सेवा में,
भारत प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी दिल्ली।

विषय → रिश्वत नहीं देने पर आवेदन नहीं भेजने, केवाला मांगकर बहाना बनाना, उसके बाद भी राईटर द्वारा गाली गलौज अभद्र भाषा बोलवाकर भी, बाहर निकलवा कर बार बार परेशान कर, मात्र एक जगह भेजकर फोरमेटी निभाकर अपना बचाव कर, कानून को गुमराह कर, अपना बचाव करने के संबंध में।

सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि, दिनांक 25/12/23 को ही हम बन्दी आवेदन प्रतिलिपी देकर सात जगह भेजने के लिए निवेदन किए थे जेल प्रशासन को, जिसपर पैसा के लिए दो दिन पड़ा रहा कोई काम नहीं हुआ, रिश्वत देने पर यही दो दिन मे सारा काम रेडी हो जाता। दिनांक 26/12/2024 को उलटा सीधा बोलकर थोड़ा काम हुआ, क्योंकि रिश्वत नहीं दिए। उसके बाद जेल अधीक्षक मनोज बाबु द्वारा बोला गया कि जमीन का केवाला पहले लाओ दरसाया मेटर, जिसपर हमने बोले भी पूर्व संलग्न है आगे भी पत्नी द्वारा बाहर से भेजवा देंगे, वर्तमान हमारे पास केवाला नहीं है यहाँ, कहाँ से दें हम तो बन्दी हैं, इसी बन्दी आवेदन को फोटो स्टेट कर, प्रतिलिपि दरसाया गया भेजवा दिजिए। यह बन्दी आवेदन हमारा अधिकार है कारा अधीक्षक को भेजना प्रमाणिकर कर कर्तव्य फर्ज ड्यूटी भी है उसके बावजूद भी अधीक्षक साहब को रिश्वत नहीं मिला इसके लिए बोले नहीं भेजेंगे। जब तक आवेदन पड़ा रहा, दिनांक 5/1/25 को हमारी पत्नी, आवेदन दिया गया केवाला लिए मांगा गया था, लाई वह हमको थी हम आफिस में जमा कर दिए। पुनः अधीक्षक मनोज बाबु का राईटर द्वारा आफिस बुलाया गया, रिश्वत नहीं देने पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर बाहर भगाया गया समय A.M लगभग 1 बजे, पुनः रोककर 1 घन्टा बाद बुलाया गया, एक घण्टा बाद जाने पर पुनः 1 घन्टा बाद बुलाया गया, क्योंकि राईटर द्वारा अधीक्षक को रिश्वत नहीं मिला, जिसका सिसी टीवी कैमरा में कैद है कारा कारनामा जबकि 12 बजे लगभग अधीक्षक महोदय को आफिस में मुला...

हस्ताक्षरित अभिप्रमाणित

हस्ताक्षर
आपका बन्दी शंकर पंडित 1/23? T.O

ज्ञापांक................ दिनांक ~~29-6-2024~~ 3-7-2024-

आवेदन-पत्र प्रतिहस्ताक्षरित किया गया एवं ....1.5 PM ... को समर्पित। शंकर पंडित

दिनांक 25/1/23 को बन्दी आवेदन लिखा हुआ, जो प्रतिलिपी सहित सात जगह भेजना था पूर्व ही किसी तरह से एक फोटो स्टेट जमा करने के पहले कारा कर पत्नी को देकर बोले थे यहाँ द्वारा भेजा जाएगा या नहीं इसका कोई गारन्टी नहीं है इसलिए तुम बाहर से जब हम बोलेंगे भेज देना, एवं सूचना अधिकार से भी जवाब ... कि पूर्व भी इसी तरह पूरा जगह नहीं भेजा गया था इसी तरह मामला हुआ था सो सारा जगह दरसाया गया भेजकर जवाब मांगो ताकि हमको न्याय मिले।

हमारे खिलाफ मिडिया वगैरा में भी कुछ से कुछ पदाधिकारी चोर घोटाले वाला कमीशनखोर ... कन्फ्रेंस में हमारे सामने साबित करे कि फूल मेनू खाना ... हम यह चोर को सीधा ललकारते हैं प्रेस ... मगर हम जानते हैं सत्य सामने नहीं आने देते हैं हम साबित कर देंगे नहीं देता है सत्य सामने रहेगा। वह जो बोलता है खाना फूल जेल में मेनू अनुसार मिलता है नाम वर्णित को भी ... कॉन्फ्रेंस में ललकारते हैं जिससे पूरा देशवासी देखे सत्य क्या है साबित कर देगा। इसके पहले हमारा मिथ्या निश्चित है किसी बहाने हम सभी देशवासी को अमर्यादित करते हैं गलत भ्रष्टाचार का किसी ना किसी रूप से विरोध ... और यह सभी सेंटर ... लिखकर भी कुछ। सभी पेपर एवं ब्यूटिफिकेशन लिखकर के, ताकि सपोर्ट समर्थन मिले। ... हमारा सारा का सारा पोल ... पिटा सामने खुल जाएगा।

बंदी आवेदन पत्र

कारा हस्तक नियम 501 अनुसार पारित

प्रेषक का नाम शंकर पंडित .... पिता का नाम जमुना पंडित ....

पता सदर बाजार पोस्ट + थाना जमालपुर जिला मुंगेर ....
107/2003 जमालपुर जिला मुंगेर

काण्ड संख्या/सत्रवाद संख्या 60/15 कासीम बाजार .... धारा 302

कारा प्रवेश तिथि 22/7/15 .... सजा की तिथि 2019

सेवा में, माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, दिल्ली। (भारत)

विषय → 1 नं. निचे नाम वर्णित अंग्रेजी, तानासाह, कसाई के तरह मारने वाला, निरदई पदाधिकारी असहाय बन्दीगण का मेनू अनुसार खाना, पीना, दवा, इलाज, जाँच, हरेक चीज में घोटाला गबन कर, कानून को गुमराह कर, पद पावर का दुरुपयोग कर शोषण, कर एक अधिकार सभी चीज से लगभग वंचित कर, बन्दीगण का खून चूस कर, केश दर्ज कर जन खाने वाला रिश्वतखोर, पापी, चण्डाल, शातिर, पर जाँच कर, कड़ी से कड़ी कारवाई करते हुए, केश दर्ज कर भ्रष्टाचार ... हित, लोक हित के लिए, लगभग 140 करोड़ जनता, पूरा देशवासी के लिए यह यम सिस्टम लागू कर भ्रष्टाचार जड़ से खत्म किया जाय, एवं हमको संविधान अनुच्छेद 161 के तहत, रियायत, माफ, निलम्बित सजा करते हुए जनहित ... एवं सभी बन्दीगण के साथ भी न्याय किया जाय। अन्यथा हमारा आँख, किडनी, लिवर, फेफड़ा, शरीर का टोटल पार्ट्स के साथ खून भी, जरूरत मन्द को डोनेट करने का आदेश पारित कर, जिससे उसका जान बचे, दोनों में से किसी एक पारित पूर्ण रूप के लिए दिनांक ... निरदोष पर दया किया जाय, सुबह 7 बजे से अनशन करने के संबंध में।

मैं शंकर पंडित पेसर जमुन पंडित साकिन सदर बाजार पो० स्ट + थाना जमालपुर जिला मुंगेर का निवासी हूँ दिनांक 22/7/15 से जेल में ... नाम वर्णित ① पूर्व मुंगेर जेल डॉक्टर शैलेन्द्र कुमार ② पूर्व मुंगेर जेल उपाधीक्षक हिमांशु नारायण ③ पूर्व मुंगेर जेल अधीक्षक जवाहर कुमार ④ पूर्व रिटायर वासुदेव जमादार ⑤ पूर्व शंकर पासवान जमादार दोनों जेल अधीक्षक द्वारा बनाया गया, ⑥ पूर्व मुंगेर न्याय पदाधिकारी ⑦ भागलपुर विशेष केन्द्रीय कारा पूर्व अशोक सिंह उपाधीक्षक ⑧ जेल सहायक धिरज कुमार ⑨ जेल उपाधीक्षक राकेश कुमार ⑩ जेल अधीक्षक मनोज सिंह ⑪ जमादार जितेश सिंह पूर्व ⑫ पूर्व जमादार श्याम बिहारी यादव दोनों तृतीय खण्ड का जेल अधीक्षक द्वारा बनाया गया ⑬ हवलदार रवीन्द्र पासवान तृतीय खण्ड ⑭ सिपाही प्रेम पासवान ⑮ हवलदार लालदेव पासवान पूर्व वर्णित तृतीय खण्ड में

नं० ② पूर्व जैसे राशन डीलर द्वारा दिया जाता था तो रजिस्टर मेन्टेन करके वितरण जनता को होता था। कितना के घर शादी विवाह, कितना के घर में घटना, दुर्घटना, एवं कई कारण से राशन नहीं ले पाता था जनता। जिसका डीलर पूरा फाइदा उठाता था रजिस्टर में ... और ... नहीं बोलता था। उस सब का वे मिलकर सारा डीलर अन्य पदाधिकारी वगैरा लेता था रजिस्टर में कर लेता था सारा व्यक्ति राशन ले लिया। मगर अब प्रधानमंत्री, मोदी सीधा यम सिस्टम से सारा भ्रष्टाचार खत्म किया। जो नहीं लेता राशन उसका डीलर नहीं रखता, वह सरकारी खाते में रहता है, जिससे चकरोर फरजी वाडा खत्म हुआ राशन वाला घोटाला काम का। प्रधान मंत्री यह भी बोले देश को भ्रष्टाचार दिमक के तरह खा रहा है। इससे पूर्व भी देश ...

हस्ताक्षर शंकर पंडित P.T.O

हस्ताक्षरित अभिप्रमाणित

वर्तमान भी आसमानी से ... देख सकते हैं मेनू अनुसार खाना मिलता है या नहीं महीना भर पूर्व देखना हो हम ... तो भी आसमानी कैमरा से ... कर देखा जाए। ... प्रतिशत सबूत सत्य प्रमाण के साथ रखा है जो नहीं जा रहा है। इसमें एक प्रतिशत ही लिखा है 99 प्रतिशत सबूत सत्य प्रमाण ... हमारे पत्नी द्वारा फरवरी 2019 में सूचना अधिकार से जवाब मांगा गया व

..........., दिनांक ...... को समर्पित। पास प्रमाणित

आवेदन-पत्र प्रतिहस्ताक्षरित किया गया एवं ... द्वारा जवाब भेजा गया मुंगेर डी.एम. के ... ताकि इसके खिलाफ सबूत अनेक प्रमाण सत्य 99 प्रतिशत लगाता है हमारा घर में धमकी वगैरा दिया गया ताकि ... डॉक्टर का पेमेन्ट बन्द हो चुका था और अधीक्षक उपाधीक्षक यह तीनों ... भेजे क्योंकि पूर्व मुंगेर शैलेन्द्र डाक्टर का ... काला चिट्ठा एवं यहाँ का भी है हमारे परिवार के पास हम लिए एवं तैयार किये ... इसका टोटल काला चिट्ठा ... धमकी डर से नहीं भेजा गया 10% प्रतिशत ही कोई ... मगर नहीं भेजा गया इसका कारण ... तोड़वाने के लिए कोई भी हद तक जा सकता है ... जबरदस्ती मुँह सिर ... अनशन तोड़वाने के लिए ... मुँह में डाला जाता है मगर हम अनशन नहीं तोड़ेंगे।

बंदी आवेदन पत्र

(कारा हस्तक नियम 501 अनुसार पारित)

प्रेषक का नाम शंकर पंडित .... पिता का नाम जामुन पंडित ....

पता सदर बाजार पोस्ट + थाना जमालपुर जिला मुंगेर ....

थाना काण्ड संख्या/सत्रवाद संख्या 107/2003 जमालपुर थाना जिला मुंगेर 60/14 कासीम बाजार .... धारा 302 ....

कारा प्रवेश तिथि 22/7/14 ....सजा की तिथि 2019 ....

सेवा में,

(2) लोवर कोर्ट में वकील मन्ना बाबु उर्फ त्रिपुरारी बाबु शुरू में बोले सब ठीक है जब समय आया तो हमारा दिया गया साक्ष्य सबुत पेपर पेश नहीं किये और हमारा एक गवाह को और गवाह राजन का बयान को किस तरह मे भी फोरसी लिखाई, जिसका टाईप में भी उलटा टाईप कर हमारी बचाव वाले को गैर करा कर अन्य टाईप किया गया, और वह पढ़कर हमसे बोले हस्ताक्षर कर दो झुठा गवाह देकर निकल गया। हम जेल से सजा होने के पहले बन्दी आवेदन में जज साहब के नाम से सारा लगातार बात लिखकर, अन्य संलग्न पेपर सत्य साक्ष्य सबुत दरसाकर सफाई ब्यान के समय देने के लिये लिखे थे, क्योंकि उस समय जेल से अधिकारी कोई बन्दी आवेदन ही भेजने वाले थे। सफाई ब्यान के समय हम पेपर देते रहे नहीं लिये ना ही जेल से भेजा गया बन्दी आवेदन रिसिव कर देखे फैसला सुना दिया गया, जिसका सत्य प्रमाण वर्तमान भी है जज साहब उसमें अपना हस्ताक्षर नहीं किये केवल फाईल में रखा था।

(3) 60/14 कासीम बाजार थाना मे वकील मन्ना उर्फ त्रिपुरारी बाबु को सत्य प्रमाण हम दिये थे वह पेश ही नहीं किये ना वह मुद्दा पर बहस, बहस ... (उसी) केवल सबुत सत्य प्रमाण गोपनीय रख दिया गया हमको सजा होने दिया गया, जैसे मित्र में होता ही फिर विश्वास में रख धोखा दिये हमारा ... हमारा ... सबुत सत्य प्रमाण गोपनीय रख दिया गया हमको सजा होने दिया गया, जैसे मित्र में होता ही फिर विश्वास में रख धोखा दिये हमारा ... फिर भी काफी रिक्वेस्ट विनती करने पर

(4) इसलिये हम अपना बहन जो शिक्षिका है बुलाये थे सोमवार को, मगर स्कूल छुट्टी नहीं रहता, फिर भी काफी रिक्वेस्ट विनती करने पर जिसपर बहन हमारी राजी हो गई सोमवार को आने के लिये। जबकि सारा परसासन भी साथ जानता हमारा विरोधी भी जानता है केवल सोमवार को मुलाकाती होता है, इतना दिन से आकर हम बुलाये बहन आई मगर मुलाकाती नहीं हुआ, अन्य के साथ भी ऐसा कर्यो- P.T.O

हस्ताक्षरित अभिप्रमाणित

हस्ताक्षर आपका बन्दी
शंकर पंडित दिनांक 2/1/2023

ज्ञापांक................ दिनांक................

आवेदन-पत्र प्रतिहस्ताक्षरित किया गया एवं .... को समर्पित।

त्रिरापुरारी बाबू शुरू में बोले सब ठीक है, जब समय
लोअर कोर्ट में वकील मन्ना बाबू उर्फ त्रिरापुरारी बाबू शुरू में बोले सब ठीक है, जब समय [illegible] साक्ष्य सबत पेपर पेश नहीं किए और हमारा एक भी नहीं सुने। और [illegible] व्यान का एजरह में एक भी फामटा निभाए, जिरह टाईप में भी उल्टा टाईप कर [illegible] व्यान वाला मेटर ऊरा कर अन्य टाईप किया गया, और वह पढ़कर हमसे बोल हस्ताक्षर कर दो। झूठा गवाह देकर निकल गया। हम जेल से सजा होने के पहले बंदी आवेदन में जज साहब के नाम से सारा लगभग बात लिखकर अन्य संग्लन पेपर सत्य साक्ष्य सबूत हस्ताक्षर [illegible] सफाई ब्यान के समय देने के लिए लिखे थे, क्योंकि उस समय जेल से अधिकारी कोर्ट बंदी आवेदन ही भजन वाले थे। सफाई ब्यान के समय हम पेपर देते रहे नहीं लिए न ही जेल से भेजा गया बन्दी आवेदन रिसिभ कर देखे फैसला सुना दिया गया, जिसका सत्य प्रमाण वर्तमान में भी है। जज साहब उसमें अपना हस्ताक्षर नहीं किए केवल फाईल में रखा था। 60 / 14 काशीम बाजार थाना वकील मुन्ना उर्फ त्रिपुरारी बाबू को सत्य प्रमाण हम दिए थे वह पेश ही नहीं किए न वह मुद्दा पर चर्चा वृहस किए विश्वास में रख धोखा दिए हमारा टोटल सबुत सत्य प्रमाण गोपनीय रख दिया गया। हमको सजा होने दिया गया, जैसे फिल्म में होता है। इसलिए हम अपना बहन जो शिक्षिका है, बुलाऐ थे सोमवार को मगर स्कूल छूट्टी नहीं देता फिर भी काफीरिपेक्ट विनती करने पर जिसपर बहन हमारी राजी हो गई सोमवार रको आने के लिए जबकि सारा प्रशासन से साथ जनता हमारा विरोधी भी जनता है, केवल सोमवार को मुलाकाती होता है, उतना रिक्स उठाकर हम बुलाऐ बहन आई मगर मुलाकाती नहीं हुआ अन्य के साथ भी पैसा बैगर लिस।

2. उसके लिए खर्च होता है जिसका विडियो वायरल है दिनांक 26.12.2022 को हमारा इग्नू का परीक्षा [illegible] हमने मन से सोचा बहन महिला होकर लगभग 150 किलोमीटर के ठंडा में बाल--बच्चा अपना छोड़कर घर पति स्कूल स भी समय निकालकर आऐगी, वह भी हमारे लिए वह भी काम से हमारा, हम बुलाऐ और हमें परीक्षा देने जाए ये उचित नहीं है। गलत धोखा देना हुआ। इसलिए हम सुबह 7 बजे लगभग गुन्टी पर जाकर दोनों जेल सहायक (1) धीरज कुमार (2) अंकित कुमार (3) जमेदार शाम बिहारी तीनों थे, हम बोले हमारा मुलाकाती आज आऐगी। इसलिए हम इग्नू का परीक्षा नहीं देंगे, सारा बात बताकर बोल यह विश्वासघात करेंगे मुलाकाती नहीं होगा तब जिसपर धीरज कुमार जमेदार दोनों बोले मत दो परीक्षा मुलाकाती कर लो हमने बोला ठीक है सर लगभग 9 बजे सभी परीक्षार्थी बन्दी का प्रथम यही जेल का जिस्स ले जाया गया परीक्षा सेन्टर।

3. हमका छोड़ दिया गया, जब हमारा मुलाकाती मेनगेट पर आई होगी तब जमेदार श्याम बिहारी गुन्टी पर बुलाकर 10 लगभग बनजे जब गया होगा बोला गया धीरज कुमार बोले सुबह 7 बजे हम [illegible] पर धीरज बाबू आप भी बोल मत जाओ फिर बोल रहे है। जाओ जल्द जिसपर शाम बिहारी जमेदार बोल दोनों काम हो जाएगा। हम रविन्द्र हवलदार को बोलकर मुलाकाती रोकवा कर करा दूंगी तुम 200 रूपैया पिसी से कटवा दे गेट पर मुरारी से बोलकर हवलदार का भी उसमे आधा हिस्सा रहेगा तब काम होगा जिस पर हमने बोले हम जेल में बहुत हम जेल में बहुत मजबूर है पैसे नहीं दे पाऐंगे जिस पर श्याम बिहारी जमेदार पूर्व निलेष सिंह जमेदार के तरह [illegible] गलौज मां बहन बेटी को भी गंदा गाली देने लगे और बेले पेट यानि रूल डण्डा मार से [illegible] देकर निकाल लेगें यानि लेटरीग के रास्ता से मुंह से निकालने का धमकी दिए श्याम बिहारी जमेदार डर से कांपन लगे फिर जमेदार बोले जाओ गेट पर हमको मुलाकाती मगर कुछ

झूठा जबाव पूर्व आशोक चण्डाल विशेष य८ से है। इसमें बहुत कारनामा नहीं लिखा है हमको 100 प्रतिशत मारेगा इसलिए पूर्ण में भी जांघ पर ब्लैड से काट कर मुंगेर वर्णित का नाम लिखे है आगे भी मौका मिलेगा तो जांघ पर लिखा मिलेगा क्योंकि यह नाम वर्णित हर हाल में अपना सबुत साक्ष्य गवाह मिटाना चाहेगा।

यह है दिनांक 02.12.2022 सुबह तक लास्ट लिख रहे है। अभी वर्तमान हमारा बताया अनुसार आवेदन भरवाया जाएगा बाहर से सूचक द्वारा विषय पूर्व टाईप किया हमारा आवेदन वाला ही भराऐगा पदाधिकारी नाम समय अंशन का तारीख बगैर भी अन्य पेपर भी इसमें संलग्न रहेगा पूर्व पेपर पत्नी को हमारे द्वारा सारा जैसे जैसे बिता दरसाया गया है रहेगा वह भी एक सारा पेपर भेजा गया पत्नी वाला एवं सभी जबाव हिन्दी में हमको दे उसमें थोड़ा योग बदलाव भी हुआ है। हम सारा का 10 जनहित लोकहित के लिए देशवासी लगभग 140 जनता -के लिए कारवाई करे सीध खाना बगैर मेनू टोटल प्राईवेट कैन्टिंग द्वारा थम कूपन टोटल इत्यादि द्वारा दे जो सीधा जनता को मिले और बिच वाला घोटाला खत्म हो और अरबों बचेगा जो घर से खाऐगा या नहीं लेगा अस्पताल में कितना मरीज घर से खाता है स्कूल ध आंगनवाड़ी विरोध रू८ से जेल जो यहां मजबुर है उसको सीधा मिलेगा भ्रष्टाचार्य खत्म होगा जड़ से विशेष हमारा अलग आवेदन टाईप किया हुआ में अच्छा से वर्णन है देखे समझ जनहित लोकहित के लिए लागू करे करवाए हमारा किसी भी विधि से मित्यों हो सकता है। जिसका जमेदार नाम वर्णित के साथ अज्ञात कुछ चमचा या चेला होगा ये सब बचाव में कोई छुट्टी सा कोई बहाना लगा के मरेगा हम मरेंगे सो जल्द कारवाई करते इंसाफ करते सुरक्षा ईलाज प्रदान करे या अनशन टोटल पार्टस जरूरत मत की मंद को दे दें आगे आपकी मरजी– दोनों में से जो आदेश पारित करें चाहें पार्टस डोनेट या न्याय दे–मुद्दा अन्य भी मांग है जो सभी इससे बंध रखा गया है विशेष अन्य पेपर में है।

आपका
शंकर पंडित

जा सकता है बाय जबरदस्ती मुंह चिर नाक बन्द लगाकर जानवर के तरह मुंह में डाला जाता है मगर हम अनशन नहीं तोड़ेगे। गुलाम हुआ था या वर्तमान में भी अगर यह भ्रष्टाचार्य को नहीं रोका गया तो यह दिमक के तरह पुरा देश को चाटकर खोखला कर खत्म कर देगा जिससे देश पुनः गुलाम हो सकता है इसलिए इसपे करी कारवाई करते हुए यह नियम नीचे वर्णित लागू किया जाय, जिससे भ्रष्टाचार्य जड़ से खत्म हो और भ्रष्ट पदाधिकारी के पॉकेट में जनता का धना ना जाय, सीधा जिसका हक है उसके पास जाय एवं दे उदाहरण– दएक बन्दी का लगभग 200 रू0 खाना पिना अन्य सभी चिज के लिए दिया जाता है उसमें साबुंन का स्टींग बेगरा– बगेरा जो हो मगर 50 रू0 ही लगभग बंदी पर खर्च नहीं करे यह लुटेरा बन्दीगण नाश्ता बगैर अन्य ब्रेड साबुन खाना पीना का भी बहुत समान बाहर से मांगता यहाँ ब्लैक से मंगवाकर या खरीदता है मनबुरू गरीब बन्दी तो कुछ दमंग पैसा वाला का थाली जुठा धोकर काम चलाता है कितना ई नाज दवा खाना से बगेरा बगेरा दिक्कत अभाव से मरता है। यह सब को दोषी पूर्व रूप से नाम वर्णित अन्य अज्ञात भी वरीय पदाधिकारी इसके लिए भ्रष्टाचार्य घोटाला गमन जड़ से खत्म करने के लिए थम सिस्टम से पूरे देश में लागू किया जाय उदाहरण विशेष केन्द्र कारा भागलपुर में 1600 बन्दी है तो प्रत्येक 200 बन्दी पर एक केन्टिंग रहेगा यानि 1600 में 8 केन्टिंग को एक कन्टिंग रहने पर मनमानी करेगा बन्दीगण को उसी में मजबुरन खाना होगा 200 बन्दी पर एक केन्टिंग रहने से कम्पीटीशन में सब सही समय पूरा खाना सभी वैद्य समान भी आर्डर से देगा। उदाहरण– लिवर जोईडिस में पेसेन्ट तेल समान नहीं खाता यहां मिलता नहीं है मगर आर्डर से फल वगैरह दुध दही खीर सादा खाना सलाद इत्यादि थम देकर लेगा जो केन्टिंग वाला देगा दसी यहां लेगा उदाहरण जैसे कोई कैदी नवरात्र 10 दिन दुर्गा पूजा करता है तो उसको भी कुछ नहीं दिया जाता है चीनी वो भी 400 लगभग कितना वही पीकर रहता कितना वाटर से मंगवता है यहां भी ब्लैक से दुध फल बगैर मिलता है कितना लेता है कितना निर्जजा रहता है वह तो सरकार को बचेगा थम नहीं देगा या जो बाहर से मंगाता है जो गरीब या यहां से लेगा अपना हक थम देकर 200 का फल बगैर जो ही लेगा मगर यह पापी वरीय पदाधिकारी अन्य छोटा पदाधिकारी भी उसको सपोर्ट कर खून चूस कर मारता है यह सब राक्षस कोई मरेगा नहीं थम सिस्टम से बाहर फुटफाठ पर जो खाना बेचता खिलाता है टेन्डर निकालने पर वह सब जल्द भर कर दोसो का खाना मिल जाएगा कितना तो ठेला पर खाना बेचता है उसका सीधा दोसो ग्राहक एक जगह मिल गया उदाहरण 200 में 10 प्रतिशत 20 रूपेया काटकर 180 रू0 भी बन्दी को प्रिंट रेट से हरेक चिज दुध, दही खाना बगैरह – बगैरह देता तो भी बन्दी को 50 रूपेया यह छोड़कर अलग से 2.5 अढ़ाई गुणा ज्यादा मिलेगा जो आफ अधिकारी को 20 बन्दी कि लिए देते है वह चोर 50 रू0 ही खर्चा कर चोरी करता हरेक पदाधिकारी उपर से नीचे वरीय पदाधिकारी लाभ बगैरह वाला सबका बाधा है एवं पैक भी तैयार रहता है मिलजुल के खाता है जगभग सब मिलीभगत से मिलवाट कर और एक दूसरे का फसने पर सपोर्ट कर लिखकर बचता है जेल के अन्दर तो बन्दीगण लगभग मजबुर रहता जैसे पानी में रहकर मगर से बैर दुशमनी नहीं करता पुरा लुट है खास कर पूरे जेल सभी जेल में इस थम सिस्टम लागू कर के हिसाब से ही पूरे भारत में पूरा जेल

(9)

[illegible] पूरा मेनू खाना देगा इस लिए हमारा प्रेस कान्फेरेंस करवायेगा। क्योंकि सारा का सारा पोल काला चिठ्ठा सामने खुल जायेगा।

वह जी बोलता है खाना फुल जेल में मेनू अनुसार मिलता है नाम वणित को भी सभी को प्रेस कान्फेरेंस मे ललक रहते हे जिससे पूरा देशवासी देखे सत्य क्या है सावित कर देगा। इसके पहले हमारा मृत्यु निश्चित है किसी बहाने हम सभी देशवासी को अपील करते है गलत भ्रष्टाचाग्र का किसी ना किसी रूप से विरोध और यह सभी सेयर टियूट किया लिखाई कुछ।

सभी सेयर एवे टियूति कि जिसे लिखकर के ताकि सपोर्ट समर्थन मिले। हम सच्चे दिल से बिना पेमेन्ट पैसा का देश का सेवा करना चाहते है कुछ और भी गोपनीय बात है जिससे देश का हित मजबुत हो प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह है कुद इस पर करें।

दिनांक 10.10.2023 दोपर 2:30 बजे लगभग हमको जेल अधीक्षक मनोज बाबू के ऑफिस बुलाया गया गेट में अन्दर मनोज बाबु द्वारा दहशत धमकी देतें हुए बोला गया अन्दर कुछ नहीं बोलना अन्यथा 25.05.2023 से भी ज्यादा मार लगेगा। अन्दर जाने पर मानवाधिकार जाँच कर्तता अपने को बताकर जेल अधीक्षक जाँच के साथ नास्ता करते करते नजर आए। मुंगेर के बारे थोड़ा लिखे, मेन मेन बात नहीं लिखकर फोरमलिटी निभाकर लिखवाए हमारे से भागलपुर जेल के बारे में कुछ नहीं है। जबकि हमको बोला था मगर जाँच पदाधिकारी भी जेल अधीक्षक मनोज बाबु से मिले थे दबाव देकर हस्ताक्षर कराया गयां। जिसका प्रमाण हमको बोलना था मगर जाँच कर्ता बिका हुआ के कारण एवं धमकी के कारण भी ऐरो यानि तीर का निशान देकर लिखाया गया कि नहीं बोलना है भागलपुर अन्य जेल के बारे में जबकि यहाँ के बारे और ज्यादा बोलना था जनहित लोकहित के लिए 140 करोड़ जनता के लिए भी।

विषयः– पूर्व दिनांक 24.05.2023 से 11.06.2023 तक अनशन दरमियान जो अत्याचार जुल्म हमारे साथ हुआ, टोटल सत्य प्रमाण प्रमाणित दर्शाया गया है। उसी के संबंध में है।

1. सविनय निवेदन है क़ि दिनांक 24.05.2023 को अनशन पर बैठे थे कुछ दिन इसके पूर्व 15 जगह आवेदन भेजकर पत्नी किरण देवी द्वारा बाहर से कारवाई जनहित लोकहित में करते हुए न्याय का गुहर भी लगाए थे।
2. दुर्भाग्यतश बस कुछ ही पेपर भेजा गया था मेन पेपर प्रमाण प्रमाणित सत्य नहीं भेजा गया था ना न्याय मिला उलटा हमारे पर जुल्म अत्याचार मारपीट मानसिक शारीरिक टोरचर हुआ, जिसका प्रमाण हम 33 नं0 वार्ड में 24.05.2023 को अनशन यहाँ भी आवेदन देकर बैठे थे जनहित लोकहित के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम से लिखकर जेल प्रशासन को देकर बैठे थे।

पर भी गिरा है एवं रविन्द्र पासवान के मारने से खुन भी मुँह से गिरा थोड़ा खुन टी–सर्ट पर भी गिरा है। टी–सर्ट भी रखा है एवं सी0सी0टी0 फुटेल एवं आसमानी सेटेलाईट कैमरा में भी देख सकते है।

6 मानवता को शर्ममार कर कसाई जल्लाद के तरी मारते रहे लगभग 30 मिनट तक कपड़ा भी खुल गया कुछ लुंगी खुलने पर भी मारते रहें उसके बाद डिप्टी चौंज होने पर दूसरा छोटा जमेदार जेल में बन्दी कमपोटर से सुई दवा दिलवाए। उसके बाद उपर से आदेश आया गमला सेल में बन्द रखा जाय। वह भी बोले कुछ खाओ पियो अन्यथा पुनः मारेंगं बोजकर गमला सेब में बन्द रखा गया।

7 दिनांक 27.05.2023 को डॉक्टर साहिबा से सिपाही द्वारा सेल से बाहर निकलवाकर मिलवाऐं जिसपर वह पानी दवा वगैरह चढ़ाने लिखी हमने बोला भी हमको चलने का शक्ती नहीं मिलता अनशन पर है। आनसे सीधा मिल भी नहीं सकते ईलाज हेतू हम गमला सेल में है। सो आप प्रथम खण्ड जेल अस्पताल में भर्ती किजिए अन्यथा यहाँ से प्रामण जाएगा। डॉक्टर साहिबा बोली हम मजबूर है। जेलर आपको रखे है, हम तितृया खण्ड का टिटमेंट ईलाज करते है गेट पर आना हमारे बस का नहीं है, क्योंकि जेलर अधीक्षक का आदेश है रखने के लिए। शाम 4 बजे लगभग इसी दिन 27.05.2023 को गुन्टी पर धरती पर ही हमको पानी चढ़ाया जा रहा था मच्छर भी काट रहा था उसी समय जेल उपाध्यक्ष आए और बोले अनशन नहीं तोड़ा है तो इसका पानी चढ़ाना बन्द कर सलाइन्ड खोलो, पुनः अभी सिपाही को लाठी डन्टा बेट लेकर चारों तरफ से घेरकर मारो, तब हमने सोचा घर किसी तरह बात कर बोलना होगा ताकि कारवाई हो। हमारा जो अधिकार है पाँच दिन में बात करना वह भी किसी तरह बोलकर करना होगा। इसलिए हम राकेश बाबु को बोले सर बाहर से भी आवेदन भेजा गया है अगर हम अनशन तोड़ेगे तो बाहर जानकारी देकर जिस पर राकेश बाबु बोले बात करा देगें ईलाज के लिए जेल अस्पताल बाहर भी भेज देगें तुम हमारे सामने थोड़ा खालो। तब हम बोले हम कसम खाए है अपने हाथों से अनशन नहीं तोड़ेंगे जिस पा एक राईटर बोले हम अपने हाथों से खिलाकर तोड़वा देते है वह दो कोर मुँह में दिया हमने चबाकर मुँह में ही रखे, और बोले बाद में अब खा लेगें बात कराकर अस्पताल भेजऐं। जिसपर राकेश बाबु बोले अब इसको 2 नं0 वार्ड में दिजिए गमला सेल से बाहर करके।

8 दिनांक 31.05.2023 एक दिन इसी तरह तितृया खण्ड में ही एक दिन वार्ड में रखे दूसरा दिन सायद 10.05.2023 को प्रथम खण्ड जेल अस्पताल भर्ती किया गया हमको सेल में भी खाना पहुँचाने पर दूसरा को दे देते थे या फेका जाता था और वह दो कोड उपर भी मुँह में ही रखे जाने पर वह फेक देते थें जेल अस्पताल में 10.05.2023 तक पानी चढते रहा पुरा कमजोर हो गए जेलर साबि समझ रहे थे के खाना नहीं खा रहा है इसलिए जानकर हॉस्पीटल वार्ड से 43 ए0 वार्ड में कर दिया गया। हमको पेसेन्ट

सेवा में,

श्रीमान् जिलाधिकारी, (मुंगेर)

द्वारा– विशेष केन्द्रीय कारा अधीक्षक (भागलपुर)

विषय– वर्णित 6.50 कट्ठा जमीन को बिक्री पर जल्द से जल्द रजिस्ट्री बैण्ड करने के संबंध में,

महाशय,

सविनय निवेदनपूर्वक कहना है कि यह 6.50 कट्ठा जमीन नक्की नगर मौजा--केशोपुर, अंचल–जमालपुर, थाना–जमालपुर सहायक थाना–फरीदपुर, जिला–मुंगेर में है जिसका पुरा ब्योरा एंव दस्तावेज वर्तमान मैं हमारे पास नहीं है। बाहर, बाहद में दिया जाएगा। इसका दस्तावेज अन्य पेपर पूर्व जिलाधिकारी के पास भेजा गया था 2013 ई0 में सलंग्न था। 1. यह जायदाद प्लॉट हमारे दादाजी स्व0 बनारसी पंडित द्वारा खरीदा गया था। सर्वप्रथम और उसी के नाम से पूर्व केवाला लगान रसीद था। दादा रेलवे कारखाना (जमालपुर) में कार्यरत अनुकम्पा के आधार पर अपने बड़े पुत्र यानि हमारे पिता जामून पंडित को अपनी जगह नौकरी देना चाहते थे बड़ा पुत्र होने के नाते उसकी हक था। जिसपर चाचा बोलें नौकरी हम लें प्रोपट्री तुम ले लेना मौखिक बोलकर ही हमारे पिता को राजी कर दादा के जगह चाचा भरत पंडित नौकरी ले लिए हमारे पिता लिखकर दिये। जो आज भी रेलवे कारखाना जमालपुर में प्रमाणित है। उसी के जगह राजन वर्तमान में नौकरी करा रहा है पिता के जगह सत्य प्रमाणित और भी है। 2. उसके बाद हमारे चाचा स्व0 भरत पंडित छल साजिस के तहत मेरे पिता स्व0 जामुन पंडित बोले कि हम रूपया लगाकर आपको नौकरी लगा देगें। आाप यह 6.5 कट्ठा जमीन में 3 सवा तीन जमीन हमको लिख दिजिए। मेरे पिता जामुन पंडित राजी हो गए। 3. तीन दशक पूर्व भी जमीन के सरकारी रेट से 11 प्रतिशत रजिस्ट्री चार्ज बच जाएगा। क्योंकि उस वक्त दान पत्र 11 प्रतिशत टैक्स 4. उसके बाद केवाला तैयार होते समय चाचा भरत पंडित साजिश के तहत छल कराया तथा 3.25 कट्ठा जमीन तथा 3.25 कट्ठा दान पत्र एक ही केवाला मे दरसा कर दान पत्र जमीन के बहाने लिखवाकर अपना एवं अपने अपनी पत्नी स्वर्गीय माला देवी पुत्र राजेश कुमार करवा लिये। यह कवाला मे मेनफ्रंट में दान पत्र ही लिखा एवं दरसाया है। शायद पुरा टैक्स भी बचाकर एवं पिता आँख में धुल झोंककर, धोखा देकर हमारा आधा हिस्सा सवा तीन कट्ठा लिखा जिए थे।

5. यह कि दान पत्र वाला जमीन जिसको दिया जाता है, वह अविवाहित मृत्यु हो जाती है तो पुनः कानुन के तहत यह जमीन मालिक को प्राप्त होता है।कानुन के तहत मेरे

पिता का आधा हिस्सा पुर्व भी लिखने के पहले या वर्तमान में वह जमीन में भी आधा होना चाहिए। क्योंकि हमारे पिता सिर्फ गवाह है कि बनारसी पंडित जमीन दान पत्र लिख रहे है। हमको कोई एतराज नहीं है। क्योंकि दान लेने वाला मृत्यु को प्राप्त हुआ, बिना अविवाहित।

6. चाचा भरत पंडित की तिसरी पत्नी स्व0 सुनैना देवी साजिस के तहत अपने रिश्तेदार से मिलकर 2003 में सौतेला बेटा राजेश कुमार का हत्या करवा कर, उसकी पुरा दान पत्र वाला 6.50 कट्ठा जमीन 2013 ई0 में अपने नाम करा ली थी। उसी का अपना पुत्र राजन कुमार पिता– स्व0 भरत पंडित के जगह नौकरी लिया है। अनुकंपा पर, जबकि यह भी राजेश कुमार का ही बड़ा पुत्र होने के नाते नौकरी होता, जिवित रहता तो और चाचा भी देना चाहते थे। सब साजिस तहत हुआ। और आज वर्तमान में राजन (सुनैना देवी) का पुत्र नौकरी कर रहा है। और हमको झुठी ग्वाह देकर राजन को फसाकर जेल मे रखा है। एवं 6.50कट्ठा जमीन बेच रहा है। हो सकता है 6.50कट्ठा जमीन अपने नाम भी फर्जीवाड़े तरीके से करा लिया होगा। इसकी माँ सुनैना देवी भी 2013 में अवैध तरीके से रिश्वत का लालच देकर जमालपुर अंचलाधिकारी का दलाल मुकेश चौरसिया भी था। इसी के द्वारा अंचलाधिकारी महोदय से अपने नाम पर गलत रूप से करा लिएँ जिसका सत्यता का प्रमाण हमारे पास है। जिससे सत्य साबित हो सकता हैं।

7. यह कि 2012 में स्व0 भरत पंडित की दूसरी पत्नी माला देवी, पुत्र राहुल कुमार के द्वारा गीता देवी, स्व0 परमान्द साह से बिकी की थी। जिसमें हमारे पिता ग्वाह भी बने थे। गीता देवी खरीदार का पुत्र प्रभाकर साह यह बोले थे जमीन का लगान रसीद कटने पर माँ के नाम पर ही आपका हिस्सा का पैसा देंगें। हमारे पापा जामुन पंडित यह बात मानकर ग्वाह बने, मगर बीच में ही सुनैना देवी जानसाजी के तहत झुठ बोलकर अवैध पेपर बनवाकर अपने नाम करा ली। जमीन 6.50 कट्ठा वाला राजन इसी का मौका का फायदा उठाकर अपने नाम भी हो सकता है करा लिया होगा। और आज लगातार प्रयास बेचने का कर रहा है, पुरा जमीन हमारा भी आधा हिस्सा, यहाँ हम जेल में रहने के कारण मजबुर है। मेरी मजबुरी का फायदा पुरा उठा रहा है।

8. यह कि 2013 ई0 में हम एवं राहुल कुमार दोनों द्वारा सारा अन्य मेटर के साथ संलग्न पेपर जिलाधिकारी से लेकर राष्ट्रपति तक भेजे थे। जिसमें यह भी दर्शाया गया था कि सुनैना देवी द्वारा हमारा जमीन अवैध तरीहके से बिक्री किया जा रहा है। जिसपर जिलाधिकारी द्वारा आदेष पारित होने पर जमीन रजिस्ट्रार द्वारा पुरा पैतृक जमीन (प्रोपटी) को बेचने पर बैंड किया गया था। 2015 ई0 में जेल से ही जमीन का कुछ भाग बेचने के लिए हम गये थे। उसी समय यह बैण्ड हटा था। अतः श्रीमान् से दोनों हाथ जोडकर निवेदन एवं विनती है कि पुर्व की तरह तत्काल यह 6.50कट्ठा

27 फरवरी PM लगभग 7 बजे रेडियो प्रसारण मे जेल सहायक अधोक्षक गोतम जी बोले रोटी खासकर दोनो टाईम खाता है उसका सुबह पिटी मे आना है अन्यथा दण्ड के भागी होगा

रोटी मे भी भट्ट इन्जार्ज सोबरात्री बोले बिना नाम लिखाऐ पिटी मे रोटी देने से मना किया है

जबकी रोटी हमको मघुमेह निकल ने पर रोटी मेडिकल द्वारा लिखा गया और भी कितना व्यक्ति को बिना लिख या पैरवी पैसा से ही रोटी मिलता है जव कि हमारा अधीकारी है मिल रहा है किसी तरह, मगर यह भि तानासाह है–

यहाँ भागलपुर विशष केन्द्र कारा मे भी नही पूर्ण रुप से इलाज ना पुरा जाँच दवा भी बोलने,मगने के बाबजुद भी लिखा हुआ पुरा नही दिया जाता है सस्ता वाला थोड़ा दवा देकर बन्दी से मेन्टन किया जाता है जिसका सत्य प्रमाण दिनांक 29–03–2024 को मायागंज अस्पताल भागलपुर डाक्टर द्वारा भी लिखा जाया दवा जाँच इलाज भी पूर्ण रुप से नही होना बोलने दिया जाता है ना जाँच लेकर मरीज को पुनः डाक्टर के पास नही ले जाया जाता है मैने डाक्टर शमशी बाबु जेल का बोलने पर अभद्र भाषा का प्रयोग करता है जिसका प्रमाण उपर वर्णित तारीक एवं पुर्ण भी चश्मा दवा का कमी इसका भी पुर्व अन्य इलाज दवा वगैरा का कमी इसी अभव मे बन्दी मारा जाता है लिखा दिया जाता है इलाज दौरान मारा जाता है जिसका प्रमाण प्रमाणित है जाँच किया जाय सत्स स्वम समने रहेगा सब मिलि भगत से होता है प्रेस कम्फ्रेस मे साराारिपोट पेपर भगवा कार पति शंकर पंडित के सामने पुछ ताछ जाता वर्पित पदाधिकारी से किया जाय सत्य समने रहते टोटल जानता के साथ आप भी देखऐगा।क्योकि पानी मे रहकर मगर से बैर कोई नही करेगा। जाँच वाला भी मिला माईनेज रहता है ठन्टा के चोट पर दहशत घमकी देकर बाय जबर दस्ती लिखाया जाता है। फेवर बोलवां कर विडियो बनाकर खुदनाम वर्णित बच जाता है। ईसलिऐ प्रस कम्फेन्स द्वारा मिडिया टीबी चेनल जो पुरा प्रसारित हो जिससे सब देखेगा सत्य स्वम सामने रहेगा । यह सब नाम वर्णित बिनाशक फिल्म मे लंकेश्वर जेलर का रोल जो डेनी वाला है। उससे भी ज्यादा करता है यह हमारे पति सही बोल रहे है दम है सच्चाई है आमने सामने बैठकर साबित करे गलत कौन है सत्य सामने रहेगा मगर ऐसा नही कोई पदाधिकारी करता है ना करने देगा क्योकि लगाभग सभी मिला रहता है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रकाशित पेपर में बोले है।भष्टाचार्य को विपक्षी बचाना चहित है हमको पूर्ण शिववास है भष्टाचार्य मोदी जी खत्म करना चाहते है तो यह प्रेस कम्प्रेस कराया जाय सत्य सामने रहेगा ।

नाम वर्णित कुछ बदलाव हुआ → मेरे पति के साथ कुछ भी गलत हो सकता है

मैं किरण देवी मेरे पति शंकर पंडित लग भग दस साल से जेल मे बंद - मैं बहुत अकेली हूं [illegible] कोई सहारा नहीं है मैं किसी तरह से दुसरो का काम कर के अपना जीवन यापन [illegible] मेरे पास उतना पैसा भी नही है कि मैं वकिल कर रख के अपना पति को और अपने बच्चों का कर [illegible] सकू - इस लिए मैं आप सब से विन्ती करती है कि मेरा यह पेपर इस स्टेट को पढ़ [illegible] [illegible] और मेरे पति को पैरोल बेल मीडिया को [illegible] -